परिशिष्ट–7

सं. 14021/1/2012-स्था.(घ)

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांकः 6 मार्च, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रोजगार के प्रयोजन से राजस्थान राज्य मुक्त(ओपन) स्कूल, जयपुर एवं आन्ध्रप्रदेश मुक्त (ऑपन)स्कूलिंग सोसाइटी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों/योग्यताओं को मान्यता देना ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्थान राज्य मुक्त (ओपन) स्कूल, जयपुर एवं आन्ध्र प्रदेश मुक्त (ओपन) स्कूलिंग सोसाइटी द्वारा प्रदत्त योग्यताएँ/प्रमाण पत्रों को केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रोजगार के प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त हैं या नही, इस विषय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया है ।

2. स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 07.09.2012 के का. ज्ञा. सं. एफ-2-35/2011-स्कू.3 द्वारा स्पष्ट किया था कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्कूल शिक्षा बोर्डों की एसोशिएशन, भारतीय स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद (सीओबीएसई), भारत में स्कूल शिक्षा बोर्ड की वास्तविकता/मान्यता का सत्यापन करने के लिए उत्तरदायी है । यह संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम या केन्द्रीय/राज्य सरकारों के कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित किए जाने वाले बोर्ड/संस्थाओं एवं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का पालन करने वालों को सदस्यता प्रदान करता है । इसके सदस्य बोर्डों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, देश के किसी भी बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के समकक्ष होते हैं । यह सूचित किया गया था कि आन्ध्र प्रदेश मुक्त (ओपन) स्कूलिंग सोसाइटी एवं राजस्थान राज्य मुक्त (ओपन) स्कूल, जयपुर इसके सदस्य हैं एवं इनके पाठ्यक्रम सीओबीएसई एवं इसके सभी सदस्य बोर्डों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और ये आगे अध्ययन करने एवं केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों में नियुक्ति के लिए वैध हैं । जहाँ तक रोजगार के प्रयोजन से राजस्थान राज्य मुक्त (ओपन) स्कूल, जयपुर एवं आन्ध्र प्रदेश मुक्त (ओपन) स्कूलिंग सोसाइटी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की वैधता का संबंध है, जहां आवश्यक हो, इसे संबंधित राज्य ओपन स्कूलों से सत्यापित करवाया जा सकता है ।

(पुष्पेन्द्र कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष :- 23040340

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

DDEN I